



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं.- 284/भास्तरलान गे-6/2026

दिनांक : 23/9/2026

"सार्वजनिक सूचना"

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार जैन द्वारा 24.00 मी. चौड़े मार्ग पर स्थित पॉकेट-एफ, कौशाम्बी गाजियाबाद क्षेत्रफल 85436 वर्गमी. भूमि पर 'कर्मिश्यल काम्पलेक्स' क्रिया की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या-GDA/BP/MS/26-27/18338 प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/आर्किटेक्ट द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड स्वामित्व अभिलेखों के अनुसार पॉकेट-एफ, कौशाम्बी गाजियाबाद का भू-उपयोग 24.00 मीटर चौड़े जोनल मार्ग के प्राधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष भाग 'आवासीय क्षेत्र' के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपावेधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के प्रस्तर-15.1.3 के विन्दु सं.-(i) (iv) एवं (v) में निहित प्राविधानों के अनुसार महायोजना भू-उपयोग अथवा अनुमोदित ले-आउट में पारिभाषित भू-उपयोग "आवासीय भू-उपयोग" में "वाणिज्यिक/व्यवसायिक" भू-उपयोग किये जाने पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत 'कर्मिश्यल काम्पलेक्स' मानचित्र के सम्बन्ध में यदि किसी हित धारक व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में अपर सचिव एवं जन सम्पर्क कार्यालय गा.वि.प्रा. में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अपर सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण